General फैसल

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 71 दिनांक::– 21.5.24

फैसल 31.12.25

2024/69

वास्ते ::–

तहसीलदार,
बेगूँ।

विषय ::–प्रार्थना पत्र अ0 धा0 128 एल आर एक्ट के तहत पत्थर गढी करने बाबत्

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधिवक्ता श्री K.C. [illegible] द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0 धा0 128 एल आर एक्ट का अनवान प्रकाशचन्द्र पिता देवीलाल [illegible] पिता [illegible] धाकड़ का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा सेमलिया प0 ह0 धामंचा की आराजी संख्या 282, 283, 284, कुल किता– 3 कुल रकबा 1.3200 है0 एंव / भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एंव विपक्षीगण की उपस्थिति में किये जाने का निवेदन किया है। आपको इस पत्र के साथ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कुल किता– दो संलग्न कर इस पत्र के साथ भिजवाया जा रहा है।

अतः आप प्रार्थी प्रकाशचन्द्र अथवा उनके अधिवक्ता श्री K.C. [illegible] से पत्थरगढी शुल्क के 1500 रूपये वसूल करते हुए मौके पर यदि विवाद ना हो तो मौजा सेमलिया प0ह0 धामंचा की आराजी संख्या 282, 283, 284, किता– 3 कुल रकबा 1.3200 है0 एंव / है0 भूमि की प्रार्थी एंव विपक्षीगण की उपस्थित में करते हुए प्रार्थी को सुचित करें।

नोटः–यदि मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद हो तो पत्थरगढी नही कि जाकर प्रार्थना पत्र पुन लौटाया जावें।

संलग्न–प्रार्थना पत्र
किता–

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी). बेगूँ